₾

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए 'पैन' को 'आधार' से जोड़ने की प्रक्रिया सरल की लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत अथवा लॉग-इन करने की कोई जरूरत नहीं

Posted On: 11 MAY 2017 7:31PM by PIB Delhi

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना सरल कर दिया है। पैन को 'आधार' से जोड़ने में आ रही दिक्कतों के बारे में करदाताओं द्वारा की गई श्रिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने अब इसका एक सरल समाधान ढूंढ लिया है। करदाताओं को मुख्यतः इस वजह से दिक्कत आ रही थी कि दोनों ही प्रणालियों में उनके नामों का मिलान बिल्कुल सही ढंग से नहीं हो पाता था।

करदाता को अब http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर बाईं तरफ लिखे à Link Aadhaar को क्लिक करना होगा और फिर इसके बाद अपना पैन, आधार संख्या को भरने के साथ-साथ अपना ठीक वहीं नाम दर्ज करना होगा जो उसके आधार कार्ड में लिखा होगा (वर्तनी की गलितयों से बचना होगा) तथा इसके बाद सबिमट को क्लिक करना होगा। यूआईडीएआई की ओर से जांच पूरी होने के बाद पैन को आधार से लिंक करने की पुष्टि कर दी जायेगी।



चित्र 1: इनकम टैक्स वेबसाइट पर पैन से आधार को जोड़ना



चित्र 2: आधार को पैन से जोड़ना सरल किया गया

अब ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत कराने अथवा लॉग इन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। करदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे पैन से आधार को तत्काल जोड़ने के लिए इस सरल प्रिक्रया का उपयोग करें। इससे आयकर रिटर्नका ई-सत्यापन करने में मदद मिलेगी। इसके तहत आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसी के आधार पर इस तरह से सत्यापन हो पाएगा।

वीके/आरआरएस/एस- 1322

(Release ID: 1489686) Visitor Counter: 6

f 😕 🖂 in